राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)
कमरा नं. 8320, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर
email Id: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in & Phone No. 0141-2227033

Azadi Ka Amrit Mahotsav

क्रमांक 61(111) SSAAT / प्रशिक्षण / 2021–22 18780 दिनांक 12/07/2022

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा योजना,
समस्त,राजस्थान

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा,प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (शौचालय) एवं मिड डे मील योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण हेतु ब्लॉक / ग्राम संसाधन व्यक्तियों को हटाने बाबत्।

प्रसंग :– अति.मुख्य सचिव,ग्रामीण विकास, एवं पंचायतीराज विभाग के आदेश क्रमांक 2 / 2020 एफ61(21)SSAAT नियमावली / 2019 / 7497 दिनांक 12.03.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) में सामाजिक अंकेक्षण कार्य को विधिवत रूप से क्रियान्विति करने हेतु सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम आदेश संख्या 2 / 2020 दिनांक 12.03.2020, कमांक1805 (आदेश संख्या10 / 2020) दिनांक 27.11. 2020 तथा कमांक 6057 (आदेश संख्या 75 / 2022) दिनांक 02.02.2022 जारी किये गये है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम 2005 के वार्षिक मास्टर परिपत्र 2019–2020 के अध्याय 10 के बिन्दु संख्या 10.1.4 के अनुसार प्रत्येक सामाजिक अंकेक्षण एकक पर्याप्त संख्या में राज्य. जिला और ब्लॉक संसाधन व्यक्ति नियुक्त करेंगें। भर्ती होने वाले कर्मियों के स्टाफिंग पैटर्न, योग्यता आदि का निर्णय राज्य सरकार द्वारा सामाजिक अंकेक्षण (SAU) के शासी निकाय के परामर्श से किया जायेगा।

मास्टर परिपत्र वर्ष 2019–2020 के उपरोक्त प्रावधान के संदर्भ में सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) द्वारा सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन सम्बन्धी विनियम 2020 के अन्तर्गत अति.मुख्य सचिव,ग्रामीण विकास, एवं पंचायतीराज विभाग के आदेश कमांक 2 / 2020 एफ61(21)SSAAT नियमावली / 2019 / 7497 दिनांक 12.03.2020 के बिन्दु संख्या 5 (viii) अनुसार चयनित ब्लॉक / ग्राम संस्थान व्यक्तियों के केवल एक वर्ष के लिए ही अनुबंध पर रखा जावेगा। अनुबंध की समाप्ति उपरांत पुराने अनुबंध की अवधि में वृद्वि नहीं की जावेगी वरन् सामाजिक अंकेक्षण कार्य के इच्छुक व पात्रताधारी/ सन्तोषप्रद कार्य सम्पादन के आधार पर छंटनी की जाकर आगामी एक वर्ष के लिए नवीन अनुबंध ही किया जावेगा।

अतः सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के चयन सम्बधित विनियम आदेशों से पूर्व Empanelled ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों / ग्राम संसाधन व्यक्तियों को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है। नये ब्लॉक / ग्राम संसाधन व्यक्तियों के Empanellment संबधिंत आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे।

(कें.के.पाठक)
शासन सचिव
ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक61(111)SSAAT/प्रशिक्षण/2021–22 | 8781-90

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :– दिनांक 12/07/2022

11. विशिष्ठ सचिव माननीय मंत्री महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज.विभाग।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
13. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
14. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज. विभाग।
15. आयुक्त, ईजीएस राजस्थान।
16. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी परिषद् समस्त।
17. विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त।
18. प्रोग्रामर SSAAT
19. उपनिदेशक/लेखाधिकारी सामाजिक अंकेक्षण /प्रशासन (SSAAT)
20. रक्षित पत्रावली ।

12/7

(संदीप चौहान)
निदेशक
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)